सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय–निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 52 /ई0पी0डी0/ग्लेन्डर्स/2015–16 दिनांक: 2[illegible].08.2015

1– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 (75)।

2– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग,उ0प्र0 (18)।

संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में होने वाली बीमारियों की सूचना आपके अधिनस्थ पशुचिकित्सालयों से प्राप्त न होकर समाचार पत्रों या पशुपालको या एन0जी0ओ0 द्वारा संज्ञान में लायी जाती है, जिससे सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है जो कि कदाचित पूर्व में समय–समय पर बैठकों एवं पत्रों के माध्यम से दिये गयें निर्देशों के अनुरूप नही है।

आपको पूर्व निर्देशों के क्रम में पुनः आदेशित किया जाता है कि विभागीय संस्थाओं के माध्यम से चिकित्सा कार्य तथा बीमारियों के सर्विलान्स करते हुये प्राप्त बीमारी की सूचना तथा पशु मृत्यु आदि तत्काल ही ई0पी0डी0 अनुभाग मुख्यालय को देने के साथ ही गम्भीरता की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को तत्काल देना सुनिश्चित करें। यह सूचना तथा एन0ए0डी0आर0एस0 पर दी गयी बीमारी की सूचना में भ्रम न रहें, यह भी देख लें।

प्रदेश में जनपदों के अन्तर्गत यदि ग्लेन्डर्स बीमारी से प्रभावित पशु मिलते है तो तत्काल ही पशुपालकों को जागरूक करते हुये प्रभावित अश्वों का रक्त सैंपिल बीमारी की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय अश्व अनुसंस्थान संस्थान हिसार हरियाणा को भेजने की कार्यवाही करें जिनका दूरभाष संख्या 1662–275787 है, साथ ही भारत सरकार द्वारा दी गयी सबन्धित गाइड लाइन तथा प्रिवेन्सन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ इनफैक्टियस एवं कन्टेजियस डिसीज इन एनिमल्स एक्ट 2009 के तहत कार्यवाही करें। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु विभागीय बेवसाइड के एन0ए0डी0आर0एस0 में सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध है। एन0ए0डी0आर0एस0 की बुकलेट का भी अध्ययन करें, जिसमें तकनीकी जानकारी दी गयी है।

यह भी अपेक्षा की जाती है बीमारी की सूचना तत्काल देते हुये सबन्धित बीमारी की पुष्टि होने पर रिपोर्ट से भी अवगत करवायें शिथिलता की दशा में यदि बीमारी की सूचना विभागीय श्रोत के अतरिक्त अन्य श्रोत से मालूम होने पर आपके द्वारा निर्देशों का पालन न करना मानते हुये कार्यवाही की जायेगी जो आपका दायित्व माना जायेगा। एन0ए0डी0आर0एस0 नोड पर भी जो सूचना जा रही है इसका अनुश्रवण भी नियमित करें।

भवदीय

(रूद्र प्रताप)
निदेशक

पत्रांक /ई0पी0डी0/ग्लेन्डर्स/2015–16 दिंनाक: 2[illegible].08.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–संयुक्त सचिव (पशु स्वास्थ्य) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।

2–प्रमुख सचिव पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3–निदेशक राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान ,हिसार,हरियाणा को प्रदेश मे विभिन्न क्षेत्रों से अश्व प्रजाति के पशुओं मे से सीरम सैम्पल एकत्र करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक